001

कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गोण्डा।

पत्रांक-315/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोण्डा/ आशुलिपिक की अस्थाई नियुक्ति/2024-25 दिनांक 14.02.2025

विज्ञप्ति

उ0प्र0शासन परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ के पत्रांक 1324/30.03.2019 दिनांक 26.07.2019 व अन्य सुसंगत शासनादेश द्वारा निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोण्डा के अन्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी को संविदा के आधार पर पूर्ण कालिक (सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्त) कार्मिको की तैनाती होने तक के लिए जो भी पहले हो, सेवायें प्रदान करने के इच्छुक ऐसे सेवानिवृत्ति कर्मियों से **दिनांक 15.03.2025** के सांय 4:30 .बजे तक आवेदन संलग्न प्रारूप पर आमंत्रित किए जाते है, जिनकी उम्र 62 वर्ष से अधिक न हो। इसके पश्चात प्राप्त कोई भी आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों का चयन इस निमित्त गठित नियुक्ति समिति के द्वारा नियत स्थान पर साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा। **रिक्त पद हेतु वेतनमान तथा वांछित अहर्ताएं निम्न है:-**

क0सं0	पद नाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड व ग्रेड वेतन	वांछित अहर्ता
1	आशुलिपिक	1	सुसंगत शासनादेश के अधीन सेवानिवृत्त कार्मिक को संविदा के आधार पर रखे जाने की सहमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जायेगी कि सेवानिवृत्ति कार्मिक को संविदा के रूप में मिलने वाली राशि सम्बन्धित कार्मिक के अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) को घटाने पर प्राप्त होने वाली राशि के बराबर मासिक धनराशि देय होगी। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार के वेतन भत्ते देय नहीं होगें।	जो द्विभाषीय अग्रेजी, हिन्दी कम्प्यूटर टाइपिंग व स्टेनोग्राफी का ज्ञान रखता हो। मान0 उच्च न्यायालय /जिला न्यायालय से कार्यानुभव रखने वाले सेवानिवृत्त आशुलिपिक को वरीयता दी जायेगी।

उपरोक्त पद हेतु इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन-पत्र के प्रारूप को पूर्ण रूप से भर कर उसके साथ आवश्यक अभिलेख यथा शैक्षिक प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, सेवानिवृत्त पेंशन प्रपत्र इत्यादि संलग्न कर कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोण्डा के पते पर प्रेषित करें। सुसंगत शासनादेश के अधीन चयन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष को समस्त आवेदन पत्रों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा। चयनित अभ्यर्थी को चयनित होने की सूचना उनके मोबाइल नम्बर/ई-मेल पर दी जायेगी। चयन में सम्मिलित अभ्यर्थियों को कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गोण्डा के कार्यालय में स्वयं या डाक से उक्त समयावधि में प्रस्तुत करें। अपूर्ण आवेदन-पत्र अथवा अहस्ताक्षरित आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं होगें। आवेदन प्रारूप https://gonda.dcourts.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। **उक्त के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धित जानकारी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।**

इस विज्ञप्ति की एक-एक प्रति जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, कमिश्नर कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, जिला नियोजन अधिकारी कार्यालय, जिला सूचना/जनसम्पर्क कार्यालय व आर0टी0ओ0 कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाय। जनपद न्यायालय गोण्डा व माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद की वेबसाइट पर भी विज्ञप्ति अपलोड किया जाय। एक प्रति बार एसोसिएशन गोण्डा को भी प्रेषित हो। इस विज्ञप्ति को जनपद गोण्डा मे परिचालित किसी एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में भी छपवाया जाय। इस विज्ञप्ति की एक प्रति सूचनार्थ श्रीमान् परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 शासन को ई-मेल द्वारा भेजी जाय।

14-2-25

(राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी)
अध्यक्ष चयन समिति/पीठासीन अधिकारी
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,गोण्डा।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गोण्डा।
आशुलिपिक के पद पर अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदनपत्र
प्रारूप

स्व प्रमाणित फोटो

1. सेवा निवृत्त कर्मचारी का नाम..
2. पिता का नाम...
3 .अभ्यर्थी की जन्म तिथि...
4. अभ्यर्थी का पता व मोबाइल नम्बर व ई–मेल–...
5. अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता–..
6. अभ्यर्थी के पूर्व सेवा की प्रकृति व विवरण–...
7. अभ्यर्थी क्या सेवानिवृत्त हुआ है अथवा पदच्युत हुआ है?...
8. क्या विभागीय/आपराधिक कार्यवाही लम्बित है यदि हो, तो उसका कारण/परिणाम.................
9. सेवानिवृत्त होने की तिथि–...
10.अभ्यर्थी के पूर्व सेवा नियोजक का नाम/विभाग का नाम–...
11.अभ्यर्थी को जिला न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय में कार्य अनुभव की प्रकृति व विवरण.......

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

प्रमाणित करता हूं कि मैने इस प्रार्थनापत्र में जो सूचना दी है, वह सत्य है तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। समस्त दी गयी सूचना को शपथपत्र पर सत्यापित करता हूं।

दिनांक–

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर